प्रेस विज्ञप्ति / Press Release **26 मार्च / March, 2020**

सिडबी द्वारा (कोरोना वायरस के खिलाफ आपातकालीन प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सिडबी सहायता योजना (सेफ) का शुभारंभ

रु 50 लाख तक का ऋण 5% ब्याज दर पर

SIDBI launches SAFE (SIDBI Assistance to Facilitate Emergency response against Corona Virus) scheme

Loans up to Rs. 50 lakh at 5% interest rate

सूक्ष्म और लघु उद्यमोंके प्रचार, वित्तपोषण और विकास में संलग्न प्रमुख वित्तीय संस्था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने हाल ही में सभी मोर्चों पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए समय की जरूरत को देखते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ आपातकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए सिडबी सहायता योजना (सेफ) को लॉन्च किया है। यह उन सूक्ष्म लघु उद्यमियों के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, जो नोवेल कोरोना वायरस से लड़ने से संबंधित उत्पादों के निर्माण में संलग्न हैं या नोवेल कोरोना वायरस, जिसे एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, से लड़ने से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

Responsive to the need of the hour to fight Corona Virus from all fronts, Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the principal financial institution engaged in the promotion, financing and development of Micro and Small Enterprises (MSEs), has launched SAFE (SIDBI Assistance to Facilitate Emergency response against Corona Virus) scheme. It is a financial assistance program for MSEs which are engaged in the manufacturing of products or offers services related to fighting the novel coronavirus, which has been declared a pandemic.

हाथ सेनिटाइजर, मास्क, दस्ताने, हेड गियर, बॉडी सूट, शू-कवर, वेंटीलेटर्स गॉगल्स, टेस्टिंग लैब आदि के निर्माण में संलग्न एमएसई इकाइयां, 5 वर्ष की अधिकतम ऋण चुकौती अवधि के साथ 5 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 50 लाख तक का ऋण ले सकती हैं। ये ऋण, संपार्श्विक मुक्त ऋण हैं और आवेदन करने व संबंधित दस्तावेजों को जमा करने के 48 घंटों के भीतर मंजूर किए जा सकते हैं।

MSEs engaged in manufacturing of hand sanitizers, masks, gloves, head gear, body suits, shoe-covers, ventilators, goggles, testing labs etc. can avail loans up to Rs. 50 lakh at a fixed interest

rate of 5 per cent for a maximum loan repayment tenure of 5 years. These are collateral free loans and may be sanctioned within 48 hours of applying and submission of documents.

सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद मुस्तफा, आईएएस ने कहा कि, "सिडबी विजन 2.0 के तहत हमारा जोर उद्यम पारितंत्र के लिए लगातार उत्तरदायी होने पर रहा है। ऐसी स्थिति में, जिसमें अभी देश गुजर रहा है, हमने महसूस किया कि उन सूक्ष्म व लघु उद्यम इकाइयों को तुरंत सहायता देने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो राष्ट्र को लड़ाई लड़ने में मदद कर रहे हैं। ऐसे उद्यमों को हमारा सलाम और समर्थन है और हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि हम राष्ट्रीय हित के इस कार्य में उनके साथ खड़े हैं।"

Shri Mohammad Mustafa, IAS, Chairman and Managing Director of SIDBI said, "Being proactively responsive to enterprise ecosystem has been our thrust under SIDBI Vision 2.0. In a situation which the country is going through right now, we felt that there is a need to immediately support and encourage those MSEs which are helping the nation fight the menace. It is our salute and support to such enterprises to be assured that we are standing with them towards national cause."

यह विशेष योजना एमएसई को उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, अन्य आस्तियों सहित उत्पादन करने या सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए आवश्यक कच्चे माल को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस योजना से आज की आपाती स्थितियों में इन उत्पादों की अतिरिक्त आवश्यक आपूर्ति को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यह डिजिटल इंटरफ़ेस माध्यम से होगा और सूक्ष्म उद्यम इकाइयां पोर्टल https://onlineloanappl.sidbi.in/OnlineApplication/login.action पर ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं:

The special scheme will help MSEs to acquire equipment, plant and machinery, other assets including raw materials required for production or delivery of services. It will also help meet additional emergencies to ramp-up supplies of these essential products. It will be digital interface and MSEs can apply for the loan through: https://onlineloanappl.sidbi.in/OnlineApplication/login.action

सिड्बी के बारे में: 1990 में अपने गठन के बाद से सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न ऋण और विकासात्मक उपायों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) के जीवन को छुआ है, चाहे ये पारंपरिक व घरेलू छोटे उद्यमी हों; उद्यमिता पिरामिड के निम्नतम स्तर के उद्यमी हों अथवा उच्चतम स्तर के ज्ञान-आधारित उद्यमी हों।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट https://www.sidbi.in पर जाएँ।

About SIDBI: As a Development Financial Institution, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements.

To know more, check out: https://www.sidbi.in

मीडिया संपर्क: नीलाश्री बर्मन, मोबाइल: +91 8879760249, ई मेल: neelasrib@sidbi.in
Media contact: Neelasri Barman, Mobile: +91 8879760249, E-mail: neelasrib@sidbi.in